WESTERN UP CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

APRIL 2021

व्यापार एवं उद्योग की समृद्धि के लिये

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-2661685

E-mail: wupcc@rediffmail.com **Website:** www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi

- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta

- **Sr. Vice President**
  Shri Shashank Jain

- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar

- **Secretary / Editor**
  Ms. Sarita Agarwal

- **Patrika Committee**

- **Chairman**
  Shri Rahul Das

- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain

- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri G.C. Sharma
  Shri Atul Bhushan Gupta

- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

WUPCCI

INDEX

- पीएफ में पांच लाख तक का अंशदान टैक्स फ्री
- इस साल भी 8.5 फीसद ब्याज देगा ईपीएफओ
- नए लोगो के लिए ईपीएफओ का नया फंड
- एफडी पर जल्द बढ़ेगी ब्याज दर
- लोन मोरेटोरियम नहीं बढ़ेगा पर चक्रवृद्धि ब्याज से छूट होगी
- मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बैंको पर पड़ेगा बोझ
- बैंक गारंटी के लिए स्वचालित ई-स्टैम्पिंग शुरू
- RBI to mandate PPI interoperability
- RBI Monetary Policy: Here are the Key Highlights
- एमएसएमई को ई-कॉमर्स के जरिये निर्यातक बनाने की तैयारी
- दिवालिया एमएसएमई के लिए समाधान पैकेज तय करेगा केंद्र
- निर्यातक बीती 1 जनवरी से ले सकेंगे कर छूट का लाभ
- निर्यातकों को कस्टम रिपोर्ट पर मिलेगी राहत
- 1 अप्रैल से अनिवार्य एचएसएन कोड
- 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर पर 1 अप्रैल से ई-चालान जरुरी
- उद्योगों को सब्सिडी के रूप में मिलेगा एसजीएसटी का लाभ
- आईटीआर-1 और 4 के लिए सरल ऑफलाइन सुविधा शुरू
- अब दुनियाभर में छाएगा मेरठ का स्पोर्ट्स गुड्स
- कम्पनियों में बड़ी 'गिग वर्कर' की मांग
- फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए पीएलआइ स्कीम को मंजूरी
- होटल, ट्रेवल और टूरिज्म सेक्टर को बड़ा तोहफा
- The climate change battle can’t be won without industry action
- हाईटेक टाउनशिप योजना में ली जा सकेगी जमीन
- 1 अप्रैल से लागू होगी वाहन रि-कॉल योजना
- एक साल में टूल बूथ हटेंगे, जीपीएस से होगी वसूली
- फिटनेस टेस्ट पार, तभी चलेगी कार
- ग्रीवांस यानी औपचारिक शिकायत
- सीएम पोर्टल पर गुहार

WUPCCI

पीएफ में पांच लाख तक का अंशदान टैक्स फ्री

सरकार ने भविष्य निधि कोष (पीएफ) में टैक्स फ्री अंशदान की सालाना सीमा ढाई लाख रूपये से बढ़ाकर पांच लाख रूपये कर दी है। यह छूट उन्ही मामलो में की जायेगी, जिनमे योगदान सिर्फ कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। जिन पीएफ अकाउंट में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान देते है, उनमे टैक्स फ्री अंशदान की सालाना ढाई-ढाई लाख रूपये की सीमा लागू रहेगी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष पहली फरवरी को पेश बजट में अगले वित्त वर्ष (2021-2020) से पीएफ अकाउंट में सालाना ढाई लाख रूपये से अधिक योगदान पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इसमें नियोक्ता या कंपनी की ओर से किये जाने वाले अंशदान को शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य निधि पर मिलने वाले ब्याज पर लगाए गए टैक्स प्रस्ताव से केवल एक फीसदी भविष्य निधि खाताधारकों पर ही असर पड़ेगा। उनके मुताबिक 99 फीसद पीएफ खाता धारको का सालाना अंशदान ढाई लाख रूपये से कम है।

इस साल भी 8.5 फीसद ब्याज देगा ईपीएफओ

ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष (2020-2021) में पीएफ पर 8.5 ब्याज दर कायम रखने का फैसला किया है। ईपीएफओ के पांच करोड़ से ज्यादा सदस्यों को पीएफ की राशि पर इस दर से ब्याज मिलेगा।

श्रम मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में श्रीनगर में ट्रस्ट बोर्ड की बैठक हुई। ब्याज डरो का फैसला वित्त मंत्रालय के समक्ष भेजा जाएगा। वित्त मंत्रालय की संस्तुति के बाद सदस्यों के खाते में ब्याज की राशि क्रेडिट कर दी जाएगी। श्रम मंत्रालय ने कहा, चालू वित्त वर्ष में ईपीएफओ ने इक्विटी में अपने निवेश को बाहर निकालने का फैसला किया है। डेट इन्वेस्टमेंट में मिले ब्याज और इक्विटी निवेश को बेचने से मिले फंड से ही ऊँची दर पर ब्याज देना संभव हुआ है। ईपीएफओ अपने सदस्यों को अधिक ब्याज देने के बाद भी सरप्लस की स्थिति में रहेगा। इससे भविष्य में भी सदस्यों को

WUPCCI

बेहतर रिटर्न देने की सम्भावना बनी है। इस साल कोरोना महामारी के कारण जमा की तुलना में निकासी ज्यादा रहने के कारण अनुमान लगाया जा रहा था कि ईपीएफओ ब्याज डरो में कटौती कर सकता है।

नए लोगो के लिए ईपीएफओ का नया फंड

ईपीएफओ के तहत जल्द ही सरकार एक नया फंड बना सकती है। यह उन लोगो के लिए होगा जो स्वैच्छिक रूप से इस स्किम में जुड़ना चाहेंगे। इस घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।

दरअसल, सरकार हर किसी के लिए ईपीएफओ खोलने की तैयारी कर रही है। अभी यह सिर्फ नौकरीपेशा वर्ग तक सीमित है। आने वाले समय में इसमें पेशेवर से लेकर खुद का कारोबार करने वालो को जोड़ने की तैयारी है। नए फंड बनाने को लेकर अधिकारीयों का कहना है कि अलग इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हर कोई ईपीएफओ के तहत निवेश करके अच्छे रिफंड का फायदा ले सके।

इसे मौजूदा स्किम के तहत इसलिए नहीं शुरू किया जा रहा है ताकि नए लोगो को 6 करोड़ से अधिक ईपीएफओ अंशधारकों की सालो की मेहनत का फायदा ना मिले, जिनका अभी का कोष करीब 10 लाख करोड़ रूपये का है।

एफडी पर जल्द बढ़ेगी ब्याज दर

एफडी निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही बैंक एफडी पर ज्यादा ब्याज देना शुरू कर सकते है। दरअसल, आरबीआई ने बैंको से सीआरआर (कैश रिजर्व रेशियो) को 3% से बढ़ाकर 4% करने को कहा है। केंद्रीय बैंक ने बैंको को चार महीने में सीआरआर को कोरोना माहमारी के पूर्व स्तर पर करने को कहा है।

बैंकिंग विशेषज्ञो का कहना है कि आरबीआई के इस कदम से बैंको के पास लिक्विडिटी घटेगी। इसकी भरपाई के लिए वह निवेश के जरिए करेंगे। लिहाजा, वो एफडी समेत दूसरे निवेश माध्यमों पर ब्याज बढ़ाकर

MUPCCI

निवेशक को आकर्षित करेंगे। गौरतलब है कि फरवरी 2013 से जनवरी 2020 के बीच सीआरआर 4 फीसदी के स्तर पर था। उस समय पर एफडी पर बैंक 6.50% से लेकर 7.50% तक ब्याज मुहैया करा रहे थे।

मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बैंको पर पड़ेगा बोझ

लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकारी बैंको पर 1800 से 2000 करोड़ अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट से मार्च से अगस्त 2020 के बीच मोरेटोरियम का विकल्प चुनने वाले सभी लोगो को ब्याज पर ब्याज से राहत का फैसला दिया है। इसमें 2 करोड़ से ज्यादा के लोन शामिल होंगे, क्योंकि इससे छोटे लोन पर ब्याज पर छूट का फैसला नवम्बर में ही आ गया था। उस फैसले तहत लोन मोरेटोरियम का विकल्प नहीं चुनने वालो को भी ब्याज पर ब्याज के बराबर की राशि खाते में दी गई थी।

सूत्रों का कहना है कि शुरुआत में 60% कर्जदारों ने मोरेटोरियम का विकप्ल चुना था। धीरे-धीरे यह घटकर 40% पर आ गया था। सरकारी बैंको के मामले में ऐसे कर्जदार 25% ही रहे गए थे। ताजा फैसले के तहत बैंक कर्जदारों को उस अवधि के लिए ब्याज पर वसूला गया ब्याज वापस करेंगे, जिसमे उन्होंने मोरेटोरियम का विकल्प चुना था। किसी ग्राहक ने यदि तीन माह के लिए मोरेटोरियम का विकल्प चुना था, तो उसे तीन माह ब्याज पर वसूला गया ब्याज वापस मिलेगा। नए फैसले में मोरेटोरियम का विकल्प न चुनने वालो को ब्याज पर ब्याज के अंतर की राशि देने की बात नहीं है। इसलिए सरकारी बैंको पर 2000 करोड़ से कुछ बोझ पड़ने का अनुमान है। अदालत ने इस फैसले को लागू करने की समय सीमा भी तय नहीं की है, इसलिए बैंक चरणबद्ध तरीके से राशि वापस करने का कदम उठा सकते है।

बैंक गारंटी के लिए स्वचालित ई-स्टैम्पिंग शुरू

प्रदेश सरकार के स्टाम्प व पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बैंक गारंटी के लिए स्वचालित ई-स्टैम्पिंग की शुरुआत की। यह नई व्यवस्था स्विफ्ट इंडिया मैसेजिंग प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हुए स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन के साथ शुरू की गई है।

WUPCCL

स्टाम्प व रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह डिजिटल समाधान मौजूदा स्टाम्प शुल्क भुगतान प्रक्रिया को पेपरलेस बनाएगा और बैंक गारंटी के डिजिटलीकरण की सुविधा भी देगा। इससे राज्य में कारोबारियों को कम समय, कम लागत में बैंक गारंटी की सुविधा मिल जाएगी। प्रदेश सरकार के इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों के तहत यह सुविधा पेपरलेस शुल्क भुगतान करने वाले ग्राहक को ऑनलाइन भुगतान करने और स्टॉक होल्डिंग से डिजिटल रूप से ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाएगी। शुरुआत में यह ऑटोमेटेड ई-स्टाम्पिंग सेवा छह बैंको में उपलब्ध कराई जाएगी।

RBI to mandate PPI interoperability

The Reserve Bank has made it clear that it will now make it mandatory for prepaid payments instruments issuers (such as mobile wallets) to adopt interoperability, a move that will let their customers transact with others after doing a full-KYC (know your customer).

It will also double the maximum balance that a single account can hold in a payments bank to Rs 2 lakh at the end of the day. RBI Governor Shaktikanta Das said in a post-meeting press briefing that PPIs had been given the option to become interoperable, with customers of one company being able to send funds to those of other PPIs or banks, in 2018 once a full KYC was done.

“Despite the passage of two years, migration towards full-KYC PPIs, and therefore interoperability, is not significant. It is, therefore, proposed to make interoperability mandatory for full-KYC PPIs and for all acceptance infrastructures,” Das pointed out. In order to incentivise this migration, it is proposed to increase the limit of outstanding balance in such PPIs, he noted.

Das also said that the RBI has been stressing on interoperability to optimally utilise such instruments given the constraint of scarce acceptance infrastructure like point of sale devices, ATMs, QR codes, bill-payment touch points. Necessary instructions in this regard will be issued separately, Das said. The RBI has also decided to permit the facility of cash withdrawal, subject to a limit, for full-KYC PPIs of non-bank PPI issuers as well as a confidence building measure.

RBI relief to ECB borrowers

The RBI has said that unutilised External Commercial Borrowing (ECB) proceeds drawn down before March 1, 2020, can be parked in term deposits with banks in India prospectively up to March 1, 2022. Under the extant norms, borrowers are allowed to place ECB proceeds in term deposits with banks in India for a maximum period of 12 months only.

Moratoriums not needed yet

Amid an increase in localised lockdowns across the country, Reserve Bank Governor Shaktikanta Das on Wednesday said there is no need for a loan repayments moratorium at present, stating that businesses are better prepared to face the situation. He, however, added that he could not give indications on the future course of actions that may be taken.

RBI Monetary Policy: Here are the Key Highlights

The Reserve Bank of India (RBI) has announced the monetary policy in which it has kept the repo rate unchanged at 4%. Monetary Policy Committee decides to retain its 'accommodative' policy stance, Governor Shaktikanta Das said.
The governor said that the central bank will remain accommodative as long as necessary to sustain growth on a durable basis.

According to a Mint poll, majority of bankers and economists had said the central bank is maintaining its accommodative stance to entrench the recovery that has begun.

Catch all the latest updates of RBI Monetary Policy:

-Rajni Thakur, Economist, RBL Bank on the monetary policy, "MPC decisions today strongly backs up various RBI's communication on continued monetary policy support till growth revival is broad based. The key take away were two: first, RBI's bend towards looking through inflationary pressures in current uncertain times and err in favour of growth and second, RBI's commitment to ensure smooth execution of government's huge borrowing program by a separate G-sec Acquisition Program to purchase government bonds in FY22. This should help bond market sentiments."

-"The unchanged repo rate by RBI is a welcome step amidst the rising Covid cases in the country. The second wave of Covid-19 is now threatening to a promising recovery. It appears that there will be no repo rate hikes before October. Some special attention should be paid to the real estate sector, especially commercial real estate, which significantly contributes to the country's economic growth," said Shiv Parekh, the founder of hBits a fractional real estate platform.

-Sanjay Kumar, CEO & MD, Elior India on policy announcement: "The RBI maintained an accommodative stance that's given the spike in inflation to nearly 5%. It is critical to watch how oil prices play out over the next few weeks. While its good for the market, the oversupply of money could result in a sudden spike in inflation and a hike in interest rates making manufacturing exports uncompetitive. Indeed a tough road lies ahead This is a rather bold step to continue maintaining the repo rate even though the inflation has touched a near peak over the last few quarters."

एमएसएमई को ई-कॉमर्स के जरिये निर्यातक बनाने की तैयारी

सरकार ई-कॉमर्स के जरिये एमएसएमई को निर्यातक बनाने की तैयारी में जुट गई है। प्रस्तावित ई-कॉमर्स नीति में एमएसएमई के लिए इस प्रकार के विशेष प्राविधान किये जा सकते है।

अनुमान है कि एमएसएमई अगले कुछ वर्षो में ई-कॉमर्स के जरिये 50 लाख उत्पादों की बिक्री आसपास के देश में कर सकते है। एमएसएमई सीधे उनके उपभोक्ता को अपने सामान बेच पाएंगे। अभी भारतीय एमएसएमई डिजिटल प्लेटफार्म पर इसलिए सफल नहीं हो पा रहे है क्योंकि विभिन्न प्रकार के नियमो के अनुपालन व अन्य तकनीकी वजह से उनकी लागत अधिक हो जाती है और वे अन्य विक्रेताओं से मुकाबला नहीं कर पाते है। सरकार उन्हें डिजिटल प्लेटफार्म पर प्रतिस्पर्धा के लायक बनाएगी। देश में 6.5 करोड़ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्‌यम है। इनमे से 36 % एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग में है। हालांकि ई-कॉमर्स के जरिये आसपास के देशो में सीधे सामान बेचने वाले एमएसएमई नगण्य है। भारत में वस्तुओं के निर्यात में एमएसएमई का योगदान 48% है, जिसे सरकार 60% तक ले जाना चाहती है।

दिवालिया एमएसएमई के लिए समाधान पैकेज तय करेगा केंद्र

सरकार ने दिवालिया ऋणशोधन अक्षमता कानून (आईबीसी) में संशोधन किया है। इसमें सूक्ष्म, लघु व मझोले (एमएसएमई) के लिए पूर्व-निर्धारित समाधान प्रक्रिया का प्रस्ताव किया गया है। इसका मतलब दिवालिया प्रक्रिया में जाने वाली कंपनी की कीमत सरकार पहले से तय कर देगी, जिससे उसके समाधान में तेजी आएगी।

अधिसूचना के अनुसार, आईबीसी में संशोधन के लिए चार अप्रैल को एक अध्यादेश जारी किया गया है। इसके अनुसार, कारोबार की विशिष्ट प्रकृति और सुगम कॉर्पोरेट ढाँचे की वजह से एमएसएमई से जुड़े दिवालिया मामलो के निपटान के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करने की जरुरत महसूस की जा रही थी। ऐसे में एमएसएमई के लिए वैकल्पिक दिवालिया समाधान प्रक्रिया की जरुरत थी।

निर्यातक बीती 1 जनवरी से ले सकेंगे कर छूट का लाभ

वाणिज्य मंत्रालय ने भरोसा दिया है कि नई कर छूट योजना की सभी समस्याओं का जल्द निपटारा कर लिया जाएगा। निर्यातक 1 जनवरी 2021 से ही छूट सहित अन्य रियायतों का लाभ ले सकेंगे। सरकार ने निर्यातकों को कर छूट की सुविधा देने के लिए निर्यात उत्पादों पर कर शुल्क व रियायत (रोड़टेप) योजना शुरू की है, लेकिन कुछ विवादों की वजह से अभी लागू नहीं किया जा सका है।

वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने बताया कि टैक्स रिफंड योजना रोड़टेप से जुडी सभी समस्याओं को जल्द सुलझा लिया जाएगा। यह योजना बीती जनवरी से ही प्रभावी मानी जाएगी और निर्यातक कर सहित अन्य छूट का दावा 1 जनवरी 2021 से कर सकेंगे। योजना अभी तक लागू नहीं हो पाने के सवाल पर वधावन ने कहा कि हर नई योजना के साथ कुछ जटिल मुददे होते है, जिन्हे सुलझाने पर तेजी से काम चल रहा है। योजना में पूरी तरह से स्पष्ट है कि इसका लाभ 1 जनवरी से ही दिया जाएगा। हर जिले में निर्यात हब बनाने के लिए विशेष उत्पादों की पहचान भी की जा रही है।

WUPCCI

निर्यातकों को कस्टम रिपोर्ट पर मिलेगी राहत

निर्यातकों की तरफ से गलत रिफंड का दावा करने के मामले में बजट में हुए सख्त प्रावधानों पर सरकार नरमी दिखा सकती है। वित्त मंत्रालय ने कस्टम विभाग के ऐसे मामलो और गलत रिफंड से जुड़े तौर तरीको पर रिपोर्ट मांगी है। उसी रिपोर्ट के आधार पर कारोबारियों को रियायत देने पर फैसला किया जा सकता है।

सरकार ने बजट में गलत रिफंड के मामले में माल जब्त करने का कानून बनाने का फैसला किया है। इसके तहत कुछ कारोबारी गलत तरीके से माल पर चार फीसदी तक आईजीएसटी क्लेम करते पाए गए थे। सरकार ने इस कानून को लागू करने को लेकर विभाग से रिपोर्ट मांगी है।

मामले से जुड़े अधिकारी मुताबिक़ नई रियायत के तहत कारोबारियों को बजाए एक्सपोर्ट किया जाने वाले कंटेनर के सिर्फ आपत्तिजनक माल से जुड़ा रिफंड रोकने का नियम बन सकता है। वही कारोबारियों को अपनी सफाई का एक ओर मौका भी दिया जा सकता है ताकि वो गलत क्लेम के बाद माल जब्त किए जाने से पहले विभाग के सामने अपनी बात भी रख सके।

1 अप्रैल से अनिवार्य एचएसएन कोड

1 अप्रैल से सभी कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए हॉर्मोनाइज़्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर (एचएसएन) कोड का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। छोटे कारोबारियों का कहना है कि इससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि एचएसएन कोड में जरा भी गलती होने पर उन्हें 50000 रूपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 1 अप्रैल से सभी कारोबारियों को सभी टैक्स इनवॉइस और जीएसटीआर-1 दाखिल करने के दौरान एचएसएन कोड का उल्लेख करना पड़ेगा।

जीएसटी विशेषज्ञों के मुताबिक वर्तमान में सालाना 1.5 करोड़ तक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को एचएसएन कोड से मुक्त रखा गया है। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ रूपये तक का सालाना कारोबार करने वालो को दो डिजिट वाले एचएसएन कोड का इस्तेमाल करना होता है। वहीँ 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को चार डिजिट का एचएसएन कोड देना पड़ता है।

1 अप्रैल से सालाना पांच करोड़ तक के कारोबार करने वाले सभी कारोबारियों को और पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वालो को छह डिजिट के एचएसएन कोड का उल्लेख करना होगा। निर्यातकों के लिए 8 डिजिट के एचएसएन कोड होंगे। सालाना पांच करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए बिजनेस-टु-बिजनेस एचएसएन कोड अनिवार्य होगा जबकि बिजनेस-टु-कंज्यूमर में यह वैकल्पिक होगा। लेकिन पांच करोड़ से अधिक के कारोबार वालो के लिए सभी प्रकार के बिजनेस में यह अनिवार्य होगा।

जीएसटी विशेषज्ञ एवं चार्टर्ड आकउंटेंट राजिंदर अरोड़ा ने बताया कि कस्टम टैरिफ एक्ट से एचएसएन कोड निकलता है और यह वस्तुओं के वर्गीकरण के हिसाब से निर्धारित होता है। वस्तुओं के वर्गीकरण से ही टैक्स की दरें तय होती है। अरोड़ा ने बताया कि कारोबारी एचएसएन कोड में गलती करता है तो उसकी टैक्स की दर अलग हो जाएगी। बाद में पकडे जाने पर कारोबारी पर जीएसटी एक्ट के सेक्शन 125 के तहत 50000 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर पर 1 अप्रैल से ई-चालान जरुरी
जीएसटी चोरी रोकने के लिए सरकार ने तीसरी बार किया बदलाव

सालाना 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए 1 अप्रैल से बिजनेस टु बिजनेस लेनदेन पर ई-चालान देना जरुरी होगा। जीएसटी चोरी रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 1 अक्टूबर 2020 को 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए बी2बी लेनदेन पर ई-चालान जरुरी किया था। 1 जनवरी 2021 को इसे बदलकर 100 करोड़ टर्नओवर वाले कारोबारियों पर लागू कर दिया, जिसे एक बार फिर घटाकर 50 करोड़ किया गया है। ई-इनवॉइसिंग के तहत करदाता अपने चालान को पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल करता है। आईआरपी चालान में दी गई सूचनाओं के सत्यापन के बाद डिजिटल हस्ताक्षर, विशेष चालान संख्या और क्यूआर कोड के साथ नया ई-चालान जारी करता है। इसका मकसद कर चोरी रोकने के साथ डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। हालांकि, इस दायरे में आने वाले कारोबारियों के पास नए नियम के अनुपालन के लिए समय काफी कम है।

WUPCCI

उद्योगों को सब्सिडी के रूप में मिलेगा एसजीएसटी का लाभ

प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार लगातार नीतियों संशोधन कर रही है या नई नीतियां बनाई जा रही है। नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए सरकार यह लाभ अनुदान के रूप में देने के लिए नई नीति बनाने जा रही है। इसके साथ ही वर्तमान नीति से चार मेगा इकाइयों को 191.70 करोड़ रूपये की सहूलियत देने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इनके आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमे 14 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। ई-कैबिनेट में विभिन्न विभागों के प्रस्ताव थे। इनमे उद्योगों को राहत के निर्णय भी शामिल रहे। अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार ने बताया कि सरकार उद्योगों को अधिक से अधिक सुविधाएं देना चाहती है। इसी के तहत नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की प्रतिबद्धता जताई गई।

आईटीआर-1 और 4 के लिए सरल ऑफलाइन सुविधा शुरू

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए करदाताओं के आईटीआर-1 और 4 फॉर्म भरने को लेकर ऑफलाइन सुविधा शुरू की है। यह सुविधा ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है, जो नई प्रौद्योगिकी 'जेएसओएन'(जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन) पर आधारित है। यह आकड़ो के भंडारण के लिए सरल प्रारूप है।

ऑफलाइन सुविधा विंडोज-7 या उसके बाद संस्करणों के साथ कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते है। आयकर विभाग ने कहा है कि यह सुविधा सिर्फ आईटीआर-1 और आईटीआर-4 है। अन्य आईटीआर को बाद में जोड़ा जाएगा। नांगिया एंडर्सन इंडिया की निदेशक नेहा मल्होत्रा ने कहा, आयकर रिटर्न भरने के लिहाज से यह नई सुविधा सरल है। इससे करदाताओं को काफी आसानी होगी। इसमें बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नो के जरिए सहायता दी गई है।

WUPCCI

अब दुनियाभर में छाएगा मेरठ का स्पोर्ट्स गुड्स

मेरठ के स्पोर्ट्स गुड्स, खानपान के लिए मशहूर लखनऊ के काकोरी का गलावटी कबाब अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाएंगे। दुनियाभर में प्रसिद्ध मेरठ के बल्ले, बॉल की ख्याति अब ओर बढ़ जाएगी। इसी तरह मुंह में रखते ही घुल जाने वाला यह काकोरी का कबाब लखनवी खानपान का खास व्यंजन है। इसी तरह के विशिष्ट उत्पादों की ब्रांडिंग व प्रमोशन इस तरह होगा ताकि अंतररास्ट्रीय बाजार में इनकी साख व मांग बढ़े। इसके लिए इन उत्पादों को भौगोलिक संकेत के जरिये पंजीकृत कराया जाएगा।

उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो ने 6 शहरों के 7 खास उत्पादों का जीआई पंजीकरण कराने की शुरुआत कर दी है। इसमें मऊ की कॉटन बेडशीट, ड्रेस मटेरियल, आगरा का मार्बल वर्क, दालमोठ व पेठा, रामपुर का पेचवर्क, काकोरी का कबाब, अलीगढ़ के ताले व मेरठ स्पोर्ट्स गुड्स शामिल है।

यह होगा फायदा

- इससे उत्पादों की दुनियाभर में ब्रांडिंग व प्रमोशन हो सकेगा।
- इस कारण इन उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ेगी और निर्यातकों को फायदा होगा।
- निर्यात बढ़ने से रोजगार सृजन व विदेशी मुद्रा आमदनी होगी।
- इसके जरिये विशिष्ट क्षेत्र के उत्पाद विशेषताओं और प्रतिष्ठा संरक्षित होती है।
- इससे जीआई टैग उत्पाद की नकल रोकी जा सकेगी।

WUPCCI

कम्पनियो में बड़ी 'गिग वर्कर' की मांग

गिग अर्थव्यवस्था यानी कुछ समय के लिए नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारी की व्यवस्था ने कोरोना के बाद नए अवसर पैदा किए है। इससे वेतन के बदले तत्काल भुगतान ने आय का नया जरिया मिल रहा है। वहीँ, स्थाई कर्मचारी की तुलना में गिग वर्कर कंपनियों के लिए लागत के पैमाने पर फायदेमंद साबित हो रहे है। कंसल्टिंग फर्म बीसीजी और माइकल फाउंडेशन के सर्वे में यह जानकारी सामने आई है।

ऐसे किया गया सर्वे: रिपोर्ट के अनुसार उसका अनुमान विभिन्न क्षेत्रो में रोजगार के प्रकार का विस्तृत अध्ययन पर आधारित है। यह निष्कर्ष बड़ी और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों समेत विभिन्न कंपनियों से बातचीत के आधार पर निकाला गया है।

रोजगार देने में आगे गिग: गिग वर्कर की तरीजह देने वाली गिग अर्थव्यवस्था से गैर-कृषि क्षेत्रों में 9 करोड़ रोजगार सृजन में मदद मिल सकती है। अल्पावधि से दीर्घावधि में कुशल, कम कुशल और साझा सेवा के क्षेत्र में करीब 2.4 करोड़ रोजगार सृजित हो सकते है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 7 करोड़ अस्थायी नौकरियां निर्माण, विनिर्माण, परिवहन और लॉजिस्टिक तथा व्यक्तिगत सेवा क्षेत्रो में है।

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए पीएलआइ स्कीम को मंजूरी

सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) स्कीम के तहत फूड प्रोसेसिंग (खाद्द प्रसंस्करण) इंडस्ट्री के लिए 10900 करोड़ रूपये की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी। फूड प्रोसेसिंग में पीएलआइ स्कीम से 2.5 लाख लोगो को रोजगार मिलने और निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही इससे उपभोक्ताओं को मूल्य वर्धित उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी।

खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 10900 करोड़ रूपये की राशि के साथ पीएलए को मंजूरी दी गई है। यह फैसला किसानो के प्रति सम्मान का प्रतिक है। सरकार का प्रयास है कि बढ़ती वैश्विक मांग के बीच देश खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को नई ऊंचाई तक पहुंचायाजाए। ' सरकार का कहना है कि इस स्कीम का उद्देश्य फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बढ़ावा देना है। यह योजना किसानो की आय दुगनी करने में मददगार होगी। इस मोके पर उपस्थित रहे सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बजट में 12-13 सेक्टर लिए पीएलआइ स्कीम का एलान किया गया था। छह सेक्टर के लिए इसकी मंजूरी मील चुकी है। इसी क्रम में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए पीएलआइ को मंजूरी दी गई। इस सेक्टर में कंपनियों को सहयोग मिलने से बड़े पैमाने पर रोजगार

सृजित होंगे और किसानो को लाभ मिलेगा।फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुडी कंपनियों ने भी इस कदम का स्वागत किया है।

होटल, ट्रेवल और टूरिज्म सेक्टर को बड़ा तोहफा

सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की अवधि तीन महीने बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दी, साथ ही इसका दायरा बढ़ाते हुए इसमें होटल, ट्रेवल और पर्यटन सेक्टर को भी शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईसीएलजीएस 3.0 के तहत 29 फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार विभिन्न वित्य संस्थानों में कुल बकाया लोन का 40 फीसदी तक लोन दिया जाएगा। ईसीएलजीएस 3 के तहत दिए जाने वाले कर्ज की मियाद छह साल होगी। इसमें 2 साल की मोहलत शामिल होगी। मंत्रालय ने बयान में कहा, कुछ सेवा क्षेत्रो पर कोविड-19 महामारी का प्रतिकूल प्रभाव बना हुआ है। इसको देखते हुए सरकार ने ईसीएलजीएस का दायरा बढ़ाया है और ईसीएलजीएस 3 पेश किया है।

इन सेक्टर्स को किया गया शामिल: इसमें होटल, यात्रा और पर्यटन, लेजर और स्पोर्टिंग सेक्टर को शामिल किया गया है। यह सुविधा उन उद्यमों के लिए है, जिनका कुल लोन 29 फरवरी 2020 तक 500 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है और उन पर किसी लोन का बकाया 29 फरवरी 2020 को 60 दिन या इससे कम हो। इसके अलावा ईसीएलजीएस 1, 2 और 3 की मियाद 30 जून 2021 तक या फिर तीन लाख करोड़ रूपये की गारंटी जारी किये जाने तक बढ़ाई गई है। योजना के तहत लोन अदाएगी की अंतिम तिथि को 30 सितम्बर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। योजना 1 अक्टूबर 2020 तक वैध थी और इसे बाद में नवंबर तक बढ़ाया गया। बाद में योजना को आत्मनिर्भर भारत 3 पैकेज तहत नवंबर में बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक किया गया। इसमें आरबीआई की कामत समिति द्वारा चिन्हित 26 दबाव वाले क्षेत्रो को शामिल किया गया।

WUPCCI

The climate change battle can't be won without industry action

We have seen two local events completely bring down global supply chains. A ship in the Suez Canal blocked traffic for a week, delaying $9 billion of goods each day. And a pandemic originating in Wuhan led to the world economy contracting by 3.5% and 255 million jobs lost in 2020. Such events reveal the fragility of the seemingly invulnerable and adaptable business sector. Bill Gates, in his new book, *How to Avoid a Climate Disaster*, estimates that the economic damage caused by climate change will be like that of a covid-scale pandemic every 10 years.

Indian industry has started preparing for the battle against climate change. Climate Trends' recent survey of 400 large and small businesses in Maharashtra found that more than 70% believe climate change is affecting their profit, material supply, and expenditure. Their main concerns are heavy rainfall, floods, water shortages, and droughts. Top Indian companies estimate the financial impact of climate risks at more than ₹7 trillion, with an average risk of ₹92 billion per company, according to a 2021 report by CDP India.

हाईटेक टाउनशिप योजना में ली जा सकेगी जमीन

राज्य सरकार हाईटेक टाउनशिप योजना में जमीन या फ्लैट देने वालो की सुविधा के लिए परियोजना को पूरा करने की अनुमति देने जा रही है। हाईटेक टाउनशिप योजना को तय समय में पूरा करना होगा। योजना के बीच में आने वाली ग्राम समाज की आरक्षित श्रेणी की जमीनों को लिया जा सकेगा। इसके लिए राजस्व सहिंता में दी गई व्यवस्था का पालन करना होगा। इस सम्बन्ध में जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है।

यूपी में लोगो की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए हाईटेक टाउनशिप योजना शुरू हुई थी। इस योजना में कुल 13 बिल्डरों ने लाइसेंस लिया, लेकिन 6 काम ही नहीं शुरू कर पाए। सात बिल्डरों ने काम तो शुरू

किया, लेकिन वे शर्तो के मुताबिक जमीन की व्यवस्था नहीं कर पाए। हाईटेक टाउनशिप योजना में बिल्डरों बुकिंग के माध्यम से पैसे तो जुटा लिए, पर सभी को फ्लैट और जमीन नहीं दे पाए है। इससे आवंटी परेशान घूम रहे है। राज्य सरकार इसलिए हाईटेक टाउनशिप योजना को फिर से पूरा करने की अनुमति देने जा रही है। यह अनुमति शर्तो के आधार पर दी जाएगी। टाउनशिप परियोजना के आकार को सम्बंधित विकास प्राधिकरण के स्तर पर परीक्षण कराते हुए टाउनशिप के लिए अनिवार्य 1500 एकड़ जमीन की सीमा को कम करने पर विचार किया जाएगा।

इसके लिए बिल्डर को संशोधित निति आने के बाद तीन माह के अंदर संशोधित डीपीआर सम्बंधित विकास प्राधिकरणों में जमा करना होगा।

1 अप्रैल से लागू होगी वाहन रि-कॉल योजना

नई कार-मोटरसाइकिल खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। यदि उनकी कार कम्पोनेंट में किसी प्रकार का विनिर्माण दोष है तो सरकार के रि-कॉल पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराए।

निर्माता कंपनी बगैर किसी शुल्क के उसे ठीक करेगी अथवा नियम के अनुसार उपभोक्ता को नई कार दी जाएगी। इसके लिए उपभोक्ता को डीलर-वर्कशॉप के चक्कर काटने की जरुरत नहीं है। इसमें मैकेनिकल-इलेक्ट्रिकल पार्ट, कंपोनेंट आदि शामिल है। यह सुविधा सात साल पुरानी हो चुकी कारो पर भी मिलेगी। नए नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले हफ्ते इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक देश में एक अप्रैल से विनिर्माण दोषपूर्ण-त्रुटिपूर्ण वाहनों को वापस लेना अथवा उसे ठीक करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह निर्भर करेगा कि वाहन में किस प्रकार की त्रुटि है। उपभोक्ता को नए वाहन अथवा ठीक करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। उपभोक्ता की सेवा के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय व्हीकल रि-कॉल नामक पोर्टल शुरू करने जा रहा है।

WUPCCI

एक साल में टूल बूथ हटेंगे, जीपीएस से होगी वसूली

केंद्र सरकार एक अंदर सभी टोल प्लाजा ख़त्म करने की योजना पर काम कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह एलान करते हुए काका कि सरकार जीपीएस की मदद से टोल वसूलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अभी वाहनों में जीपीएस लगाया जाएगा। इससे सिर्फ उतना ही पैसा लगेगा जितना आप सफर करेंगे।

सरकार एक साल में देश के सारे टोल ख़त्म करने की योजना पर काम कर रही है। रोड की एंट्री पर कैमरा लगा होगा, वह तस्वीर लेगा और जहा से आप निकलेंगे, सिर्फ उतना ही पैसा कटेगा।

फिटनेस टेस्ट पार, तभी चलेगी कार

पुरानी गाड़ियों की फिटनेस सुनिश्चित करने और स्क्रैपिंग की विधिवत व्यवस्था के लिए सरकार ने अहम कदम बड़ा दिया है। इसके तहत 15 साल से पुराने कॉमर्शियल वाहन और 20 साल से पुराने निजी वाहनों का फिटनेस टेस्ट जरुरी होगा। इसमें पास होने के बाद ही इनका सर्टिफिकेट रिन्यू किया जाएगा। अनफिट वाहनों को कवाड़ यानी स्क्रैप जाएगा। गाड़ियों की फिटनेस जांच के लिए विशेष सेंटर तैयार किए जाएंगे।

पुरानी और अनफिट गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर उनके मालिकों को कई छूट मिलेगी। इस पॉलिसी से जीएसटी में 40 हज़ार करोड़ रूपये की वृद्धि का अनुमान है। सड़क से अनफिट गाड़िया हटाने से सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। पुरानी गाड़ियों से निकले कबाड़ की रीसाइक्लिंग वाहन उद्योग का खर्च कम करेगी और उद्योग प्रतिस्पर्धी बनेगा। इस पॉलिसी के लागू होने से ईंधन दक्षता बढ़ने और प्रदूषण में अच्छी खासी कमी आने की उम्मीद है। यही नहीं, स्क्रैपिंग पॉलिसी के लागू होने पर 10000 करोड़ के नए निवेश के साथ 35000 रोजगार सृजित होने और देश की ऑटो इंडस्ट्री का आकार मौजूदा 4.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ रूपये पर पहुँचने का अनुमान है।

WUPCCI

जल्द ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ड्राफ्ट सार्वजनिक करेगा और सम्बंधित लोगो की राय ली जाएगी। गडकरी ने बताया कि सरकार देशभर में एकीकृत स्क्रैपिंग केंद्र बनाने का भी प्रयास कर रही है। गुजरात के अलंग समेत कुछ चिन्हित जगहों पर स्क्रैपिंग के लिए विशेष केंद्र तैयार किये जाएंगे, जहां स्क्रैपिंग की विभिन्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा।

ग्रीवांस यानी औपचारिक शिकायत

यह कर्मचारी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र से जुडी किसी समस्या की औपचारिक शिकायत कहलाती है, जो किसी नियम के उल्लंघन या कार्य-स्थितियों से असंतुष्टि को लेकर हो सकती है। इनके तहत कई तरह की शिकायते देखने को मिलती है और उन पर कार्यवाही के भी अलग-अलग तरीके हो सकते है। ज्यादातर मामलो में शिकायते श्रम कानूनों के उल्लंघन होने पर की जाती है।

कर्मचारी और नियोक्ता के बीच इस तरह की शिकायतों के समाधान औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से निकालने की कोशिश की जाती है।

सीएम पोर्टल पर गुहार

आईजीआरएस पोर्टल पर कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए jansunwai.up.nic.in पर जाना होगा। इसको क्लिक करने के बाद शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल खुल जाएगा। अधिकारी बताते है कि आईजीआरएस पर शिकायते दर्ज होने पर इनकी नियमित मॉनिटरिंग होती है। जब तक समाधान नहीं होता, तब तक यह निस्तारित नहीं मानी जाती। निस्तारण के बाद फ़ोन करके पूछा जाता है कि वह इससे संतुष्ट है नहीं। संतुष्ट ना होने पर शिकायत दोबारा जिन्दा हो जाती है।

XXXXXXXXXXXX

WUPCCI